

जयें ई-मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)


क्रमांक : स्था0/2023/52

दिनांक : 09.10.2023

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2023/50 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 एवं 24 अक्टूबर, 2023 के राजपत्रित अवकाशों में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु क्रमशः श्रीमती रेनू शकीत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी एवं श्री सुयश न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 1 बून्दी की ड्यूटी लगाई गई थी। जिनमें प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये उक्त राजपत्रित अवकाशों में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 को श्री सुयश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 1 बून्दी एवं दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 को श्रीमती रेनू शकीत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी की ड्यूटी लगाई जाती है।

उक्त पीठासीन अधिकारी उपरोक्तानुसार नियत दिनांक को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर तथा पूर्ववर्ती/पश्चातवर्ती कार्य दिवसों का अवकाश घोषित हो जाने पर मुख्यालय पर रहकर जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे। शेष रिमाण्ड ड्यूटी आदेश दिनांकित 29.09.2023 पूर्ववत लागू होगा :-



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान) 9/10/23

क्रमांक : सामान्य/2023/2046 To 2055

दिनांक : 09.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.....
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
- (8) सिरटम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसोज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान) 9/10/23